न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—17/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/17)

1. रामचंद्र पुत्र श्री औंकार जाति जाट (मृतक जरिए वारिसान):—
1/1 हरिनारायण पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी मानसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र भोलू
2. श्योनारायण पुत्र भोलू
3. गोपाल पुत्र भोलू
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (दूदू) आदेश दिनांक 23.11.2023, प्रकरण संख्या 67/2020.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 24.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 67/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 जिसे आगे चलकर विपक्षी कहा जाएगा ने एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। जिस पर सहायक कलेक्टर दूदू ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी कर दिए तामील बाबत जो रिपोर्ट आई वहां अपीलांट रहता नहीं है फिर भी गलत तामील कर दिनांक 17.11.2020 को एक्स पार्टी कर दी गई वादी की एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 23.11.2020 को प्रार्थी को पाबंद फरमा दिया व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे विक्रय हस्तांतरण नहीं करे आदेश पारित कर दिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 67/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत द्वारा प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों पर यह कहते हुए पेश किया है कि उक्त आराजी को खरीद की है उसके आधार पर खातेदार घोषित किया जावे जबकि उक्त आराजी औंकार पिता रामनाथ की थी जिसको बरवक्त सेटलमेंट संवत 2011 से 2029 से आवंटन हुई थी जिसकी विरासत रामचंद्र पुत्र औंकार के नाम दर्ज रही आज दिनांक तक दर्ज है जबकि गलत रूप से वाद प्रस्तुत कर प्रार्थी को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया जो कि पूर्ण रूप से गलत है। दिनांक 16.9.2020 को प्रार्थना पत्र दर्ज हुआ जिसके नोटिस 23.9.2020 के लिए जारी हुए दिनांक 17.11.2020 जो नोटिस प्राप्त हुआ उस पर गलत रूप से लिखा गया प्रार्थी बाहर गया हुआ है घर वालों ने सम्मन लेने से इंकार किया उसके खुले मकान पर चस्पा किया जबकि प्रार्थी को इस प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी उपरोक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता इससे बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित फरमाया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विपक्षी का टाईटल अथवा कब्जा विवादित आराजी पर साबित होता हो जिससे विपक्षी का प्रथम दृष्टया प्रकरण कही भी साबित नहीं होता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित कर निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है एवं पारित आदेश काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा इस आधार पर अवैधानिक है कि उनके द्वारा कब्जे की जांच किए बिना विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करने जैसा आदेश पारित फरमा दिया जिसकी आड में विपक्षी अपीलांट के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलजमाहमत उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 67/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 को निरस्त किया जावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है जो इस प्रकार है– 2015(1) आरआरटी 560, 2014(2) आरआरटी 1301, 2013(1) आरआरटी 123.

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे रेस्पोडेंट संख्या 4 राजकीय अभिभाषक है जो इस प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। अतः उक्त प्रकरण में किए गए निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमारे द्वारा अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तामील प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तामील प्रोपर प्राप्त हुई है। बावजूद तामील एवं सूचना के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा की गई एकतरफा बहस को सुना जाकर मनन किया गया। दिनांक 23.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर0बी0एक्ट स्वीकार किया गया।

उक्त विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में चौसाला जमाबंदी संवत 2075–2078, खाता संख्या नया 292, पुराना 222, खसरा संख्या 2061/180 रकबा 0.0600 वाकै ग्राम अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर प्रस्तुत की गई है उक्त जमाबंदी में रामचन्द्र पुत्र ओकार खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज है। चूंकि रामचन्द्र द्वारा दिनांक 11.8.2020 के उपहार पत्र में उक्त आराजीयात को वर्तमान अपीलांट के हक में निष्पादित किया गया था व उक्त प्रकरण में अपीलांट हरिनारायण रामचन्द्र का विधिक वारिस भी है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो कि उक्त प्रकरण से संबंधित पक्षकार है। विवादित आराजी में ओंकार पुत्र रामनाथ का 1/3 हिस्सा साबिक रिकार्ड में दर्ज था। ओकार के देहान्त होने पर विरासती नामांतकरण भूरा व रामचन्द्र के नाम 1/6–1/6 हिस्सा स्वीकृत हुआ। रेस्पोडेंट के कथनानुसार उनके द्वारा भूरा का 1/6 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद किया गया परंतु रेस्पोडेंट द्वारा अपने कथन में यह कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है कि अपीलांट की हक हिस्से से उनका क्या संबंध है। चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलांट एक आवश्यक पक्षकार है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांट को उक्त निर्णय में बिना सुने एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किए गए जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने न केवल निर्णय ही पारित किया है बल्कि एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की है जो कि किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किए जाने से स्पष्ट है– आर0बी0जे(9)2002 पेज 283–***RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- SECTION 212-order of temporary injunction cannot passed against co-tenant, to deprive him from use of his share of land.***

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कल्क्टर दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 67/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को समुचित जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निस्तारित करे व उभयपक्षकारन को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 के निस्तारण तक उक्त आराजीयात की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

24/01/25

(रामचन्द्र) राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner